



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 05.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-



आज दिनांक 05-04-2021 को जिलाधिकारी खीरी, श्री शैलेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, शाखा प्रभारियों एवं अभियोजन अधिकारीगण के साथ मासिक अपराध गोष्ठी एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियों के दृष्टिगत समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, महिला संबंधी अपराधों को प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा शांति अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने, गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने, चोरी/नकबजनी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गस्त/पिकेट के माध्यम से सतत भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि रखने, जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई एवं चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व के चुनावों में घटित घटनाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने, चुनाव को प्रभावित करने वाले संभावित अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने, हिस्ट्रीशीटों की जांच कर सक्रिय एचएस के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों/किसी भी प्रकार के मुकदमों के अभियुक्तों के शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही करने, गंभीर अपराधों में जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने, अवैध शराब के निष्कर्षण, ब्रिकी व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, पुलिस के मददगार व्यक्तियों की सूची बनाकर उनसे लगाकर संपर्क में रहकर लाभप्रद सूचनायें संग्रहित करने, समस्त बूथों का भौतिक निरीक्षण करके आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे- बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए। गांव में घटित होने वाले छोटे झगड़े एवं विवाद को भी गंभीरता से लेकर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने, बैरियर/पिकेट के स्थानों को चिन्हित करने, चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की अवैध दावत पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाकर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आम जनता को कोरोना गाइडलाइन्स जैसे मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करने, सैनिटाईजर का प्रयोग करने आदि नियमों के प्रति जागरूक करने, प्रत्येक थानों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पी०ए० सिस्टम) के माध्यम से लगातार कोविड की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार करने तथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त हफीज पुत्र अनवर को अवैध शस्त्र कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया-



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.04.2021 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान जिलाबदर अभियुक्त हफीज पुत्र अनवर निवासी रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना धौरहरा पर मु0अ0सं0 136/21 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधि0 व 137/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

हफीज पुत्र अनवर निवासी रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा खीरी

बरामदगी:-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 वेदपाल सिंह, थाना धौरहरा

हे0का सगीर अहमद

का0 शैलेन्द्र सिंह

थाना निघासन पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त छोटन्न पुत्र खलील को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.04.2021 को मुखबिर की सूचना पर थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 160/2021 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम (शस्त्र कारखाना) में वांछित अभियुक्त छोटन्न पुत्र खलील निवासी ग्राम टापरपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को ग्राम सहतेपुरवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी संबंध में थाना निघासन पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

पंजीकृत अभियोग विवरण-

मु0अ0सं0 185/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम छोटन्न पुत्र खलील निवासी ग्राम टापरपुरवा कोतवाली निघासन जनपद खीरी

बरामदगी विवरण-

01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर

अभियुक्त छोटन्न का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 160/2021 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम कोतवाली निघासन खीरी
2. मु0अ0सं0 266/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम कोतवाली निघासन खीरी
3. मु0अ0सं0 403/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम कोतवाली निघासन खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 करूणेशचन्द्र शुक्ल
2. आरक्षी सचिन कुमार मावी
3. आरक्षी नागेन्द्र कुमार
4. आरक्षी सूर्यप्रभाकर

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त वाहिद उर्फ चंदा को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त वाहिद उर्फ चंदा पुत्र वकील नि० सेहरूआ थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० ८८/२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **1045 लीटर अवैध कच्ची शराब, 26 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **42 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना भीरा	300 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना गोला	180 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना हैदराबाद	130 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना खीरी	60 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मैगलगंज	60 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मोहम्मदी	55 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना नीमगाव	50 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना पलिया	35 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना पसगवां	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
10.	थाना फूलबेहड़	30 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
11.	थाना मितौली	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
12.	थाना निघासन	25 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
13.	थाना धौरहरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
14.	थाना मैलानी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
15.	थाना तिकुनिया	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	1045 लीटर	42 अभियुक्त गिरफ्तार